संख्या– /54–1–12/.................

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
(जनपद–गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कासगंज तथा शामली को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 27 नवम्बर, 2012

विषय– **आईडब्ल्यूएमपी योजना के अन्तर्गत जनपदों में गठित वाटरशेड कम डाटा सेन्टर (डब्ल्यूसीडीसी) तथा पीआईए स्तर पर डब्ल्यूडीटी के सदस्यों की सेवाएं सेवा प्रदाता के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–जेड–11011/10/2009–पीपीसी दिनांक 09 दिसम्बर, 2009 एवं जेड– 11011/17/2009– पीपीसी दिनांक 12 जनवरी, 2010 द्वारा आईडब्ल्यूएमपी योजना के अन्तर्गत जनपदों में स्थापित वाटरशेड कम डाटा सेन्टर (डब्ल्यूसीडीसी) में चयनित सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्मिक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

2. उपरोक्त प्रावधान के क्रम में शासनादेश संख्या–345/54–1–12/8(14)/2012 दिनांक 06 जुलाई, 2012 द्वारा ***डब्ल्यूसीडीसी*** में ***टेक्निकल एक्सपर्ट*** तथा ***डाटा इन्ट्री आपरेटर*** एवं ***पीआईए*** में ***डब्ल्यूडीटी सदस्य*** नियुक्त किये जाने के लिए **"मेसर्स विब्योर इन्फो प्रा0लि0,** को मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5317 (एम./बी)/2012 में पारित निर्णय के अधीन चयनित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत हैः–

पता– प्रथम तल, रोहित काम्प्लेक्स, सप्रू मार्ग, लखनऊ

दूरभाष–0522–4028990, **मोबाइल**–9335916101, **ईमेल**–vibgyorinfo@sify.com

वेबसाइट–www.vibgyorgroup.net / www.vibgyorhr.com

उपरोक्त सेवा प्रदाता मेसर्स विब्योर इन्फो प्रा0लि0 द्वारा ही ***डब्ल्यूसीडीसी स्तर पर टेक्निकल एक्सपर्ट*** तथा ***डाटा इन्ट्री आपरेटर*** एवं ***पीआईए*** स्तर पर ***डब्ल्यूडीटी सदस्यों*** की सेवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के पारिश्रमिक का भुगतान सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जाएगा, पारिश्रमिक का भुगतान किसी भी दशा में डब्ल्यूसीडीसी/पीआईए द्वारा नहीं किया जाएगा।

3. ***शासनादेश संख्या–202/54–1–12/(5)/2010 दिनांक 02.05.2012*** एवं ***यथासंशोधित शासनादेश संख्या–827/54–1–12/1 (5)/2010 दिनांक 12.11.2012*** द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि पीआईए के पास उपलब्ध परियोजना में कम से कम ***दो परियोजनाओं के मध्य एक डब्ल्यूडीटी*** के बहुआयामी तकनीकी योग्यता वाले कम से कम चार सदस्यों की टीम का गठन किया जाय जिसमें से एक महिला सदस्य होगी।

4. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक **एसएलडीसी/*डब्ल्यूसीडीसी/पीआईए*** के अधीन कार्य करेंगे तथा ***वर्क–आउटपुट*** के आधार पर **एसएलडीसी** स्तर पर, **डब्ल्यूसीडीसी** स्तर पर तथा ***पीआईए*** स्तर पर कार्मिकों के पारिश्रमिक का भुगतान के सम्बन्ध में तिथियों का निम्न कलेन्डर अपनाया जाएगा,यदि किसी नियत तिथि पर राजकीय अवकाश पड़ता है, तो अगले कार्यदिवस पर संबंधित कार्य किया जायेगाः–